

दोहन ६६

**अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश**

टैगोर छात्रावास, क्रमांक टी-2, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002

☎ (+91) 755-2660441 ✉ ctemp.bpl@mp.gov.in | dte4.academic@mp.gov.in

क्रमांक:- 4/शैक्ष./बी/2024/काउं./

भोपाल, दिनांक / / 2024

**//सूचना//**

**बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता**

सत्र 2024-25 हेतु बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA) द्वारा जारी पत्र CA/5/2024/Academic/Revised Eligibility दिनांक 08 जुलाई 2024 में सत्र 2024-25 हेतु बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता में परिवर्तन निम्नानुसार किया गया है :-

"No candidate shall be admitted to architecture course unless she/he has passed 10+2 or equivalent with physics and mathematics as compulsory subject alone with either Chemistry or Biology or Technical Vocational subject or Computer Science or Information Technology or Informatics Practices or Engineering Graphics or Business Studies with at least 45% marks in aggregate or passed 10+3 Diploma Examination with Mathematics as compulsory subject with at least 45% marks in aggregate."

सत्र 2024-25 में बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम जारी किये गये हैं, इन प्रवेश नियमों में उल्लेखित अर्हता के स्थान पर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA) द्वारा उक्त संशोधित अर्हता को मान्य कर प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

**आयुक्त द्वारा अनुमोदित!**

Sd/-

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं  
आयुक्त तकनीकी शिक्षा,  
संचालनालय तकनीकी शिक्षा,  
मध्यप्रदेश